न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/582

दुर्गालाल आयु 55 वर्ष आत्मज छीतर दत्तक पुत्र नाथू जाति भील निवासी पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

बनाम

राज0 राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम 1968 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि नाथू आत्मज रामा को ग्राम कालामाल में खसरा नम्बर 140 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा भूमि का दिनांक 28.12.2015 को आवंटन किया गया था । उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटी द्वारा आवंटन की बकाया राशि मय ब्याज जमा नहीं की गई । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे ।

3. अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.04.2016 को एक प्रार्थना पत्र बाबत् मृतक के विरूद्ध कार्यवाही खारिज फरमाने का पेश कर कथन किया कि उपरोक्त कार्यवाही मृतक नाथू

लाल के खिलाफ पेश की है मृतक नाथू का दत्तक पुत्र दुर्गालाल, नाथू जी की चल–अचल सम्पत्ति व उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । प्रार्थी ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद भी पेश कर रखा है । मृतक नाथू के विरूद्ध कार्यवाही चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है । अतः मृतक के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाने की कृपा करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को शामिल मिसल करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 08.06.2017 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 28.12.2015 निरस्त कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि आवंटी नाथूलाल की मृत्यु दिनांक 28.07.2000 को हो गई थी । मृत व्यक्ति के खिलाफ दिनांक 22.03.2016 को की गई कार्यवाही कानूनन निरस्तनीय थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट आवंटी नाथूलाल का दत्तक पुत्र होने से नाथू लाल की मृत्यु के बाद वह उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से आवंटन आदेश दिनांक 28.12.2015 निरस्त किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण को मृत व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.08.2018 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार हिण्डोली द्वारा अपीलान्ट को आवंटित आराजी के आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम 1968 के तहत उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में पेश किया और यह कथन किया कि मौके पर आवंटी का कब्जा नहीं है वरन् मौके पर दुर्गालाल आत्मज छीतर भील का कब्जा है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । प्रार्थना पत्र दर्ज कर नाथूलाल को जरिये नोटिस तलब किया गया दिनांक 20.04.2016 को अपीलान्ट दुर्गालाल ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अवगत करवाया कि नाथूलाल की मृत्यु हो चुकी है और दुर्गालाल आवंटी नाथूलाल का दत्तक पुत्र है ।

दुर्गालाल द्वारा दिनांक 20.04.2016 को ही मृतक के विरूद्ध कार्यवाही पेश किये जाने से कार्यवाही खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना ही प्रकरण को लोक अदालत में रखकर आवंटन को निरस्त किया है । आवंटी नाथूलाल की मृत्यु दिनांक 28.07.2000 को हो गई और आवंटी नाथू की मृत्यु हो जाने से मृतक व्यक्ति के विरूद्ध दिनांक 22.03.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में की गई कार्यवाही विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । नाथूलाल के स्थान पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 227 दिनांक 29.06.2010 रतना आत्मज खाना भील व अन्य के नाम दर्ज कर दिया गया था । उक्त नामान्तरकरण को अपीलान्ट आवंटी नाथूलाल के दत्तक पुत्र दुर्गालाल द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी के न्यायालय में चैलेंज किया गया था । उक्त अपील संख्या 65/11 पर दर्ज की गई जिसका निर्णय दिनांक 18.10.2011 को न्यायालय द्वारा पारित किया गया था जिसमें अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नाथू लाल की मृत्यु के उपरान्त रतना भील के नाम खोला गया नामान्तरकरण निरस्त किया गया । उक्त भूमि पर कब्जा अपीलान्ट का है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटी का कब्जा नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से आवंटन खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनरांक 08.06.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार हिण्डोली द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम 1968 के तहत नाथू आत्मज रामा के पक्ष में ग्राम कालामाल की आराजी खसरा नम्बर 140 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा के किये गये आवंटन को निरस्त करने के लिए पेश किया है । आवंटन को निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ जो रिपोर्ट संलग्न की गयी है उसमें यह कथन किया गया है कि आवंटित आराजी पर दुर्गालाल पुत्र छीतर भील का कब्जा काश्त होना पाया गया है। आवंटन आदेश की प्रति पत्रावली पर संलग्न नहीं है । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रतना आत्मज खाना एवं अन्य की गैर खातेदार में दर्ज है और इसमें यह नोट अंकित है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर के आदेश की अनुपालना में नामान्तरकरण निरस्त किया गया । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2068–71 संलग्न है । पत्रावली पर एक मौका रिपोर्ट की संलग्न है जिसमें यह अंकित है कि नाथू लाल की मृत्यु हो चुकी है उसके कोई वारिसान नहीं है । नाथू लाल लाऔलाद फौत हुआ है ।

वादग्रस्त आराजी पर दुर्गालाल पिसरान छीतर भील का कब्जा काश्त है । नाथूलाल को जो नोटिस जारी किये गये हैं जिसमें भी यह अंकित है कि नाथू की मृत्यु हो चुकी है इसकी एक प्रति आसामी के पोता संजीत पुत्र दुर्गालाल को देकर तामील करवायी गई । एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि नाथू लाल की मृत्यु हो चुकी है । अतः कार्यवाही ड्रोप की जावे ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया जिसमें अपीलान्ट अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता शम्भूदयाल शर्मा उपस्थित हुए हैं और उसी दिन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आवंटन निरस्त किया गया है । आवंटन आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संलग्न नहीं है और न ही आवंटन सम्बन्धी पत्रावली का तलब किया गया है । आवंटन आदेश का अवलोकन करने के उपरान्त ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आवंटन किन नियमों के तहत किया गया था और कब किया गया था ।

14. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटन नियमों की पालना हुई है अथवा नहीं, यह देखने के लिए आवंटन के तुरन्त बाद के 02 वर्षो में कब्जे की स्थिति एवं काश्त की स्थिति को देखा जाना अनिवार्य होता है । हाल खसरा गिरदावरी एवं हाल मौका रिपोर्ट के आधार पर यह विनिश्चय नहीं किया जा सकता कि आवंटन की शर्तों की पालना हुई है अथवा नहीं । यदि आवंटी की मृत्यु कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व हो चुकी है तो उनके विधिक वारिसान को नोटिस देकर और जवाबदेही का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जा सकता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 08.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्याया लय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आवंटी के विधिक वारिसान को नोटिस देकर उन्हें जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए आवंटन की पत्रावली तलब कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 16.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा